

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1009 / FP/UK/WATER/43413/2019 देहरादून:दिनांक: 18 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

सचिव (प्रभारी),  
वन अनुभाग-3,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत ग्राम चन्द्रवनी खालसा एवं चन्द्रवनी ग्रान्ट में पित्थुवाला तोक समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.03 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No- FP/UK/WATER/43413/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.03 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव पर प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1009 / FP/UK/WATER/43413/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक/गढवाल, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समय-समय पर प्रकरण की समीक्षा करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लें।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,  
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17-	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा पत्रावली पर सहमति के पश्चात प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।
-----	---	---

तिथि : 18/10/21

स्थान : देहरादून

हस्ताक्षर :

नाम और पदनाम

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
संरक्षकरी मोहर  
एवं नोडल अधिकारी  
उत्तराखण्ड, देहरादून।